



संख्या-251/2026/1/1352144/2026/004/23-6099/38/2024

प्रेषक,

सुबास राम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 03 जून, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-2027 में राज्य योजना (ग्रामीण) के अनुदान सं०-57/83 के अंतर्गत लखनऊ क्षेत्र के कतिपय जनपदों के कुल 16 सेतुओं के चालू कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता, (सेतु विंग), लो०नि०वि०, लखनऊ के कतिपय पत्रांक (तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं०-57/83 के अंतर्गत लखनऊ क्षेत्र के कतिपय जनपदों के 16 सेतुओं के चालू कार्य हेतु निम्नानुसार रू० 1686.38 लाख (रूपये सोलह करोड़ छियासी लाख अड़तीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू० लाख में)

क्र० सं०	कार्यालय मुख्य अभियंता (सेतु विंग) का पत्रांक	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्राविधिक/ बचत/ बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	आवंटन धनराशि		
								अनुदान सं०-57	अनुदान सं०-83	योग (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	22126/CE-SEB/RVB/L KO/2026-27 Dt- 27-05-2026	नि.ख.-1 खीरी	शारदानहर पटरी से मटेही मार्ग के किमी 01 में 75.66 भानपुर नाले पर 3 सेल (3x3) मी० स्पान के बाक्स कल्वर्ट एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	302/2025/आई/1127 658/2025/23-6099/ 172/2025-दिनांक-30-10-2025	75.66 75.60 6.00 69.60	19.83	49.77	7.88	2.12	10.00
2	तदैव	नि.ख.-1 खीरी	रामनगर लहबड़ी से रानीपुरवा सम्पर्क मार्ग के मध्य स्थित नाले पर 6 न० (4x4) मी० स्पान के स्पान बाक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	145/2026/आई/12801 96/2026/23-6099/9 2/2026-दिनांक-25-03-2026	289.32 289.32 15.07 274.25	29.86	244.39	31.52	8.48	40.00
3	तदैव	सेतु निगम खीरी	जनपद लखीमपुर खीरी के विधानसभा क्षेत्र मोहम्मदी में गोमती नदी के मढिया घाट पर सेतु, पहुंच मार्ग, कनेक्टिंग मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य	130/2024/1055/001-1055-2024-23-1000 2-002-8-2024-दिनांक-18-09-2024	1497.81 1497.81 0.00 1497.81	1373.6 2	124.19	97.85	26.34	124.19
4	तदैव	नि.ख. सीतापुर	जनपद सीतापुर में नेरी सिधौली-महमूदाबाद (एस०एच०-139) के किमी०-41 से निकलने वाले रघुनाथपुर ऐनी सम्पर्क मार्ग पर पूर्व निर्मित क्षतिग्रस्त / सकरे आर्च सेतु के स्थान पर 5x4x4 मी० स्पान बाक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	330/2025/आई/1137 7131/2025/23-6099/ 193/2025-दिनांक-10-11-2025	102.49 102.49 1.19 101.30	51.25	50.05	12.61	3.39	16.00
5	तदैव	नि.ख.-1 सीतापुर	चीनीमिल बाबूपुर मदारपुर सम्पर्क मार्ग के कि०मी 0-9 में क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 3x3x3 आर०सी०सी० बावस कल्वर्ट के पुनर्निर्माण का कार्य	323/2025/आई/1133 487/2025/23-6099/190/2025-दिनांक-05-11-2025	58.58 58.58 0.08 58.50	29.29	29.21	18.91	5.09	24.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6	तदैव	नि.ख.-4 सीतापुर	जनपद सीतापुर में अरसेनी बीहटगौर पल्हरिया मार्ग (अ०जि०मा०) के कि०मी०- 03 में सिंचाई नहर पर स्थित सकरी आर्च पुलिया के स्थान पर 3x2.75 मी स्पान के लघु सेतु का निर्माण कार्य।।	330/2025/आई/1137 7131/2025/23- 6099/193/2025- दिनांक-10-11-2025	98.49 98.49 1.49 97.00	19.25	77.75	57.44	15.46	72.90
7	तदैव	नि.ख.-4 सीतापुर	उरदौली बम्हौरा इमलिया सुल्तानपुर धरनाग मार्ग (अ०जि०मा०) के कि०मी०-12 में पिरई नदी पर स्थित रपटा पुल के स्थान पर 3 x 10 मी० स्पान के लघु सेतु का निर्माण कार्य।	357/2025/आई/1150 304/2025/23- 6099/200/2025- दिनांक-21-11-2025	385.92 385.92 30.95 354.97	42.93	312.04	231.87	62.42	294.29
8	तदैव	प्रा.ख. सीतापुर	जनपद सीतापुर में सेमरी बांसुरा भगौतीपुर देहला धौरहरा मार्ग (अ०जि०मार्ग) के कि०मी० 19 में 7x6.00 मी० बॉक्स कल्वर्ट निर्माण कार्य	79/2026/आई/12641 34/2026/23- 6099/40/2026- दिनांक-12-03-2026	474.45 474.45 0.06 474.39	9.81	464.58	315.16	84.84	400.00
9	तदैव	प्रा.ख. सीतापुर	जनपद सीतापुर में बाजारपुरवा से टपरा सम्पर्क मार्ग पर 3x6.00 मी० स्पान आर०सी०सी० लघु सेतु निर्माण	79/2026/आई/12641 34/2026/23- 6099/40/2026- दिनांक-12-03-2026	164.29 164.29 0.08 164.21	3.42	160.79	78.79	21.21	100.00
10	तदैव	प्रा.ख. सीतापुर	जनपद सीतापुर में टी- 3 नसीरपुर सरकार सम्पर्क मार्ग के कि०मी०- 1 में 5x6.00 मी० स्पान आर०सी०सी० लघु सेतु एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।	79/2026/आई/12641 34/2026/23- 6099/40/2026- दिनांक-12-03-2026	216.33 216.33 0.13 216.20	4.52	211.68	149.70	40.30	190.00
11	तदैव	नि.ख.-2 हरदोई	साण्डी बघौली से अम्हरी सम्पर्क मार्ग के चैनेज 2.100 पर हथौडा नाले पर 3x6 मी० स्पान लघु सेतु का निर्माण कार्य।	302/2025/आई/1127 658/2025/23- 6099/172/2025- दिनांक-30-10-2025	90.02 90.02 2.14 87.88	13.01	74.87	38.61	10.39	49.00
12	तदैव	नि.ख.-2 हरदोई	जी०एम०एम० मार्ग से भुलभुलिया खेड़ा वाया तरहटिया सम्पर्क मार्ग के चैनेज 0.400 पर 3x3 मीटर स्पान के लघु सेतु का निर्माण कार्य।	314/2025/आई/1130 295/2025/23- 6099/171/2025- दिनांक-31-10-2025	70.99 70.99 0.24 70.75	8.50	62.25	15.76	4.24	20.00
13	तदैव	नि.ख.-2 हरदोई	जी०एम०एम० मार्ग से कुतुबापुर मार्ग के कि०मी० 3 से बेरियाघाट (राजकीय मेला स्थल) तक अखडिया नाले पर 3x10- 00 मी० स्पान के आर०सी०सी० बाक्स कल्वर्ट एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।	391/2025/आई/1184 713/2025/23- 6099/179/2025- दिनांक-23-12-2025	210.74 210.74 0.04 210.70	65.37	145.33	81.15	21.85	103.00
14	तदैव	नि.ख.-2 हरदोई	कछौना ब्लाक के ग्राम समसपुर कन्हौआ मार्ग के मध्य समसपुर ड्रेन पर पर 2x6.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० बाक्स कल्वर्ट तथा 1.80 कि०मी० अतिरिक्त पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।	319/2025/आई/1130 369/2025/23- 6099/185/2025 दि० -31.10.2025	197.11 197.11 0.44 196.67	18.56	178.11	63.03	16.97	80.00
15	तदैव	नि.ख.-2 हरदोई	जनपद हरदोई में बी०पी० मार्ग कि०मी०-210 से राजघाट सम्पर्क मार्ग के चैनेज 1.850 पर 3x10 मी० स्पान के लघु सेतु का पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण कार्य।	319/2025/आई/1130 369/2025/23- 6099/185/2025 दि० -31.10.2025	169.32 169.32 0.40 168.92	58.66	110.26	73.27	19.73	93.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

16	तदेव	नि.ख.-2 हरदोई	कछौना गौसर्गज मार्ग के कि0मी0-8 में 3x8 मी0 स्पान के लघु सेतु का नवनिर्माण कार्य।	17/2026/आई/12051 35/2026/23- 6099/242/2025- दिनांक-14-01-2026	179.02 179.02 0.10 178.92	1.51	177.41	55.15	14.85	70.00
कुल योग								1328.70	357.68	1686.38

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- (2) राज्य योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।
- (3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।
- (4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) उक्त तालिका अंकित मूल स्वीकृति के शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें व प्रतिबंध आदि यथावत लागू रहेंगी।
- (6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।
- (7) यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव व सूचनाओं में कोई विसंगति/त्रुटि पायी जाती है, तो इसके लिए मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों द्वारा यदि किसी प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही यथापेक्षित धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।
- (8) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा। वर्तमान आबंटन के आधार पर लागत में सम्मिलित अनुरक्षण की धनराशि को व्यय नहीं किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 13,28,70,000 (रुपये तेरह करोड़ अट्ठाईस लाख सत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010421 कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 3,57,68,000 (रुपये तीन करोड़ सत्तावन लाख अड़सठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891400 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुबास राम)

संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
- (2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
- (3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
- (4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
- (5) वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- (6) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लिमिटेड, लखनऊ।
- (7) संबंधित कोषाधिकारी।
- (8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
- (9) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
- (10) नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट, लोक निर्माण विभाग ।
- (11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुबास राम)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।